जनसत्ता

18 मार्च, 2019

# सौहार्द का गलियारा

भारत-पाक रिश्तों में कड़वाहट की बड़ी वजह राजनीतिक है। खासकर कश्मीर और आतंकवाद के मसले पर दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाता, जिसके चलते रह-रह कर दोनों के बीच तल्खी बढ़ जाती है। मगर लंबे समय से वकालत की जाती रही है कि दोनों देशों के आम लोगों के आपस में मिलने-जुलने में कोई बाधा पैदा नहीं आनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय इसी मंशा से सड़क और रेल मार्ग खोल कर लोगों के आने-जाने की सुविधा प्रदान की गई थी। वाजपेयी सरकार का कहना था कि अगर दोनों देशों के लोग आपस में मिले-जुलेंगे, एक-दूसरे के यहां की स्थितियों को समझेंगे, तो उनके मन की कड़वाहट कम होगी। इसी सिलसिले में सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। पर आतंकी घटनाओं के चलते राजनयिक कदम के तहत इन गतिविधियों में रुकावट आती रही। आम लोगों के बीच भी आवाजाही, मिलने-जुलने का अपेक्षित सिलसिला नहीं बन पाया। ऐसे में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे तक भारतीय लोगों के आने-जाने का रास्ता खोलने की पहल सकारात्मक कही जा सकती है। इस मसले पर दोनों देशों के आला अधिकारियों की बातचीत का सिलसिला चल पड़ा है। शुरुआती चरण में ही पाकिस्तान ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाया है। कुछ तकनीकी पहलुओं को छोड़ दें, तो अब श्रद्धालुओं के करतारपुर साहिब जाने में आने वाली दिक्कतें लगभग दूर हो गई हैं।

करतारपुर साहिब गुरुद्वारे तक जाने के लिए सिख संप्रदाय के लोगों को कड़ी वीजा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जबकि यह गुरुद्वारा भारतीय पंजाब की सरहद से सटा हुआ है। वहां पैदल भी जाया जा सकता है। मगर वीजा प्रक्रिया जटिल होने की वजह से बहुत सारे लोग वहां जा नहीं पाते। सरहद पर लगी दूरबीनों के जरिए ही दर्शन करके संतोष पा लेते हैं। इसलिए लंबे समय से मांग की जा रही थी कि करतारपुर साहिब गलियारे को वीजामुक्त किया जाए। पाकिस्तान सरकार इस पर राजी हो गई है। हालांकि भारत की तरफ से मांग की जा रही है कि गलियारा सातों दिन खुला रखा जाए, वहां जाने के लिए किसी प्रकार का वीजा न मांगा जाए। इसे लेकर पाकिस्तान की तरफ से कुछ हिचक है, पर इसके दूर होने की उम्मीद की जा सकती है। दरअसल, दोनों देशों के बीच जिस तरह के तनाव भरे रिश्ते हैं, उसमें श्रद्धालुओं की आड़ में शरारती तत्त्वों के घुसपैठ करने की आशंका बनी रह सकती है। यह स्थिति दोनों देशों के लिए खतरनाक साबित होगी। ऐसे में एहतियाती उपायों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। इस यात्रा को निर्विघ्न बना देना फिलहाल संभव नहीं होगा।

इन दिनों दोनों देशों के बीच जैसे संबंध चल रहे हैं, उसमें करतारपुर साहिब को लेकर शुरू हुई सकारात्मक पहल के शुरुआती चरण में ही बहुत सारी शर्तें थोप देना और गुरुद्वारे की जमीन आदि पर कब्जे जैसे मुद्दों को लेकर जिद ठान लेना बाधा साबित हो सकता है। ऐसे मसलों में एक बार शुरुआत हो जाए, तो फिर बाकी पहलुओं पर धीरे-धीरे बातचीत के जरिए समाधान के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। इसमें अहम मुद्दा फिलहाल यह होना चाहिए कि दोनों देश करतारपुर साहिब गलियारे को खुला रखने संबंधी शर्त पर दृढ़ता दिखाएं। कई बार देखा गया है कि ऐसे मसलों पर समझौता हो तो जाता है, पर किन्हीं तनातनी के क्षणों में उस पर अमल रोक दिया जाता है। इससे आपसी सौहार्द संबंधी पहल बेमानी साबित हो जाती है।

# राहत और सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर शांताकुमारन श्रीसंत पर से आजीवन प्रतिबंध हटा कर उन्हें एक बड़ी राहत दे दी है। इस खिलाड़ी पर यह प्रतिबंध भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने लगाया था। श्रीसंत के लिए सबसे सुखद बात तो यही है कि 'आजीवन प्रतिबंध' की सजा से वे अब मुक्त हो गए हैं। इससे उनके क्रिकेट करिअर में बंद दरवाजे खुलने की उम्मीद बंधी है। सर्वोच्च अदालत ने बीसीसीआइ से कहा है कि वह तीन महीने के भीतर श्रीसंत की सजा के बारे में फिर से विचार करे। अदालत ने यह साफ कर दिया है कि बीसीसीआइ को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है, इसलिए बोर्ड अब नए सिरे से श्रीसंत की सजा के बारे में फैसला करेगा। श्रीसंत पर से आजीवन प्रतिबंध हटा है, लेकिन सजा का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। अब यह देखने वाली बात है कि बीसीसीआइ श्रीसंत की सजा पर क्या रुख अपनाता है। क्रिकेट बोर्ड अब श्रीसंत को कितनी सजा देता है, या नहीं देता है या और कुछ फैसला करता है, यह इसलिए महत्त्वपूर्ण होगा कि इसी से क्रिकेट में श्रीसंत का भविष्य तय होगा।

श्रीसंत 2013 के आइपीएल में स्पॉट फिक्सिंग में फंस गए थे। 16 मई, 2013 को दिल्ली पुलिस ने उन्हें और उनके दो साथियों अंकित चव्हाण और अजीत चंदीला को गिरफ्तार किया था और मैच फिक्सिंग और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया था। इसी बीच बीसीसीआइ ने तीनों खिलाड़ियों पर जिंदगी भर के लिए क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन दो साल बाद यानी 2015 में तीनों को ही सुनवाई अदालत ने आरोपमुक्त करार दे दिया। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस तीनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई। श्रीसंत भी अपने को निर्दोष बताते रहे और दावा करते रहे कि पुलिस ने उनसे जबर्दस्ती दस्तखत करवाए। बाद में दिल्ली पुलिस ने अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। यह मामला अभी चल रहा है। इसी दौरान आजीवन प्रतिबंध को लेकर श्रीसंत ने केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां हुआ यह कि एक एकल पीठ ने प्रतिंबध हटाया, लेकिन दूसरे पीठ ने उसी के फैसले को पलट दिया।

श्रीसंत का मामला अब भी एक अदालत से दूसरी अदालत, बोर्ड और पुलिस के बीच उलझा हुआ है। मैच फिक्सिंग मामले में फैसला दिल्ली हाई कोर्ट से आना है। इसके बाद भी संबंधित पक्षों के लिए ऊपरी अदालत के रास्ते खुले रहेंगे। जाहिर है, मामला कानूनी जाल और दांवपेंचों में इस कदर फंसा है कि श्रीसंत की मैदान पर वापसी आसान नहीं लगती। बीसीसीआइ की प्रशासकों की समिति को इस बारे में अंतिम फैसला लेना है। सुप्रीम कोर्ट से श्रीसंत को भले राहत मिल गई हो, लेकिन एक खिलाड़ी के रूप में उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। पुलिस ने जिस आनन-फानन में कदम बढ़ाए और सबूत जुटाने में नाकाम रही, उससे उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। हालांकि इसमें कोई दोराय नहीं कि जांच एजेंसियों और पुलिस के लिए ऐसे मामलों को तार्किक अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं होता। एक समय अजहरुद्दीन भी ऐसे ही फिक्सिंग मामले में फंसे थे लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई के बाद निर्दोष साबित हुए, लेकिन एक क्रिकेटर के रूप में उनका करिअर चौपट हो गया। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें लंबी कानूनी प्रक्रिया में फंस कर खिलाड़ियों का करिअर खत्म हो गया। ऐसे मामलों में बोर्ड ही अगर तर्कसंगत नजरिया अपनाए तो देश अच्छे खिलाड़ियों से वंचित नहीं होगा।

## कल्पमेधा

धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं है। किसी भी धर्म या व्यक्ति को राष्ट्र की अस्मिता से खेलने नहीं दिया जाना चाहिए।

–एपीजे अब्दुल कलाम

# ताबूत बनते मिग

योगेश कुमार गोयल

**रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सही मायनों में मिग विमानों को 1990 के दशक में ही सैन्य उपयोग से बाहर कर दिया जाना चाहिए था। हर लड़ाकू विमान की एक उम्र होती है और मिग विमानों की उम्र करीब बीस साल पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन हम इन्हें अपग्रेड कर इनकी उम्र बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं और तमाम ऐसी कोशिशों के बावजूद इनकी कार्यप्रणाली प्रायः धोखा देती रही है, जिसका नतीजा दुर्घटनाओं के रूप में सामने आता रहा है।**

पिछले दिनों पाकिस्तानी लड़ाकू विमान एफ-16 को मार गिराए जाने के बाद मिग-21 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने और फिर आठ मार्च को राजस्थान के बीकानेर जिले में एक और मिग-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल मिग विमानों को लेकर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। करीब पांच दशक पुराने इन मिग विमानों को बदलने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। लेकिन वायुसेना के बेड़े में दूसरे लड़ाकू विमानों की कमी की वजह से मिग की सेवाएं लेते रहना वायुसेना की मजबूरी रही है। हालांकि वायुसेना द्वारा अब तर्क दिया जा रहा है कि वायुसेना को अत्याधुनिक रफाल विमान मिलने के बाद वह धीरे-धीरे मिग विमानों को युद्धक भूमिका से हटाएगी। पहले चरण में 2022 तक मिग-21 विमान हटाए जाएंगे और 2030 तक मिग-27 और मिग-29 विमानों को भी हटाया जाएगा।

सवाल यह है कि क्या ऐसे में 2030 तक मिग विमान इसी प्रकार दुर्घटना के शिकार होते रहेंगे और हम जांबाज लड़ाकू पायलटों को खोते रहेंगे? इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जहां एक लड़ाकू विमान पर अरबों रुपए की लागत आती है, वहीं वायुसेना के लड़ाकू विमान चालकों को प्रशिक्षण देने पर भी भारी धनराशि खर्च होती है। ऐसे में स्पष्ट है कि एक लड़ाकू विमान और एक विमान चालक को खो देने से देश को कितना नुकसान झेलना पड़ता है। जब से मिग भारतीय बेड़े में शामिल हुए हैं, तब से अभी तक कई विमान और लड़ाकू पायलटों को हम गंवा चुके हैं। निरंतर होते ऐसे हादसों का सीधा असर वायुसेना की युद्धक क्षमता और उसके मनोबल पर पड़ता है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय वायुसेना को 1964 में पहला सुपरसोनिक मिग-21 विमान मिला था। भारत ने रूस से 872 मिग विमान खरीदे थे, जिनमें से अधिकांश दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और दो सौ के करीब प्रशिक्षित लड़ाकू पायलट खो चुके हैं। 1971 से 2012 के बीच चार सौ बयासी मिग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। यानी सालाना औसतन बारह मिग दुर्घटना के शिकार हुए। सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार इस अवधि के दौरान इन दुर्घटनाओं में एक सौ इकहत्तर लड़ाकू पायलटों, उनतालीस आम नागरिकों, आठ सैन्यकर्मियों और विमान चालक दल के एक सदस्य की मौत हुई। हालांकि वायुसेना के पास अब जो मिग विमान हैं, उन्हें तकनीकी रूप से उन्नत किया जा चुका है, फिर भी ऐसे हादसे थम नहीं रहे हैं। केंद्र सरकार ने मार्च 2016 में संसद को बताया था कि वर्ष 2012 से 2016 के बीच भारतीय वायुसेना के कुल अट्ठाईस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिनमें आठ मिग-21 विमान थे और इनमें से भी 6 मिग-21 विमान ऐसे थे, जिन्हें उन्नत कर 'मिग-21 बायसन' का दर्जा दिया गया था। कुछ समय पहले तक वायुसेना के पास करीब एक सौ बीस मिग 21 विमान थे, जिनमें से अधिकांश दुर्घटनाग्रस्त हो गए। फिलहाल केवल चालीस-पैंतालीस मिग-21 ही बचे हैं। रूस में निर्मित इन विमानों के निरंतर दुर्घटनाग्रस्त होते जाने का प्रमुख कारण यही बताया जाता रहा है कि ये विमान रूस की पुरानी तकनीक से निर्मित हैं और अब इनके असली पुर्जे नहीं मिल पाते।

यह बात सही है कि मिग विमानों ने 1971 के भारत-पाक युद्ध और उसके बाद 1999 के करगिल युद्ध सहित कई मौकों पर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन ये विमान अब इतने पुराने हो चुके हैं कि कई बार तो सामान्य उड़ान के दौरान ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पिछले कुछ ही वर्षों में मिग विमानों की इतनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं कि अब इन्हें वायुसेना में ही 'फ्लाइंग कॉफिन' यानी 'हवा में उड़ने वाला ताबूत' कहा जाने लगा है। रूस 1985 में ही मिग-21 का उत्पादन बंद कर चुका था और उसके बाद से जब भी मिग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, हर बार आरोप लगे हैं कि इन विमानों में कई ऐसे पुर्जे हैं, जो खराब हैं और दुर्घटना का कारण बनते हैं।

करीब एक दशक पहले मिग विमानों को बायसन मानकों के अनुरूप उन्नत बनाने का काम शुरू हुआ था और इनमें राडार, दिशासूचक क्षमता इत्यादि बेहतर की गई। इसके बावजूद हकीकत यही है कि इन विमानों की उम्र बहुत पहले ही पूरी हो चुकी है।

मिग विमानों की दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण इनमें पुराने पड़ चुके कलपुर्जे, एअर-फ्रेम और सिस्टम की खराबी को माना जाता रहा है। दरअसल युद्धक कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी मशीनरी को समय-समय पर मरम्मत और अद्यतन करने के साथ-साथ खराब घोषित करने की आवश्यकता भी होती है, लेकिन लड़ाकू विमानों की कमी के चलते खस्ताहाल मिग विमानों को ढोते रहना भारतीय वायुसेना की मजबूरी हो गई है।

अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो अधिकतम 2230 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार वाले इस विमान में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें ले जाई जा सकती हैं और यह करीब दो हजार किलो तक गोला-बारूद ले जाने में भी सक्षम है। इससे दुश्मन पर रासायनिक और क्लस्टर बम भी बरसाये जा सकते हैं। इसके कॉकपिट से 420 राउंड गोलियां बरसाने का भी इंतजाम है। इसके बावजूद हकीकत यही है कि आज की पीढ़ी के विमानों के समक्ष मिग कहीं नहीं ठहरते, क्योंकि मिग करीब चार-पांच दशक पुरानी रक्षा जरूरतों के हिसाब से बनाए गए थे। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सही मायनों में मिग विमानों को 1990 के दशक में ही सैन्य उपयोग से बाहर कर दिया जाना चाहिए था। हर लड़ाकू विमान की एक उम्र होती है और मिग विमानों की उम्र करीब बीस साल पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन हम इन्हें अपग्रेड कर इनकी उम्र बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं और तमाम ऐसी कोशिशों के बावजूद इनकी कार्यप्रणाली प्रायः धोखा देती रही है, जिसका नतीजा दुर्घटनाओं के रूप में सामने आता रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारत संभवतः आखिरी ऐसा देश है, जो आज भी मिग-21 का इस्तेमाल करता है।

युद्धक भूमिका में मिग विमानों की बात छोड़ भी दें तो हालत यह है कि ये विमान अब सामान्य उड़ानों के दौरान भी हादसों के शिकार हो रहे हैं। जहां तक रफाल विमानों की बात है तो इन्हें लेकर कुछ रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि चूंकि ये बेहद उच्चस्तरीय, जटिल और परिष्कृत किस्म के विमान हैं, जबकि युद्धक मोर्चे पर छोटे, हल्के व सस्ते लड़ाकू विमानों की ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में रफाल मिग विमानों की जगह नहीं ले सकते। हालांकि सबसे मारक माने जाने वाले रूसी 'सुखोई-30' विमान, पाकिस्तान के बालाकोट में तबाही मचा चुके फ्रांसीसी 'मिराज-2000' विमान और ब्रिटिश 'जगुआर' विमान भारतीय वायुसेना की ताकत हैं। लेकिन इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमारी वायुसेना के पास हर प्रकार के लड़ाकू विमानों की जबरदस्त कमी है। समय, परिस्थिति और चुनौती के हिसाब से वायुसेना को अलग-अलग आकार तथा दर्जे के विमानों की जरूरत होती है। संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों के केवल इकतीस दस्ते ही हैं, जबकि जरूरत बयालीस दस्तों की है और नए विमान आने की रफ्तार काफी धीमी है। ऐसे में अगर मिग विमानों के चौदह दस्ते परिचालन से बाहर हो जाते हैं तो वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों के बहुत कम दस्ते रह जाएंगे। ऐसे में वायुसेना की इन जरूरतों को पूरा किया जाना समय की सबसे बड़ी मांग है।

# भाषा के आयाम

रमाशंकर श्रीवास्तव

## दुनिया मेरे आगे

आंखों से छलक कर पूरी देह में फैल जाने वाली भाषा देह की भाषा है। यह सवाल जब उठा तो मेरी निगाह ही बदल गई। परिवार का हर आदमी अपनी-अपनी भाषा लिए चहक रहा है। बालक से लेकर बूढ़े तक की अपनी भाषा होती हैं। न कोई राग-द्वेष, न दिखावा या न दूसरों को प्रभावित करने की चेष्टा। भाषा के नाम पर पूरे संसार में जो मारकाट मची है, उसकी प्रकृति भिन्न है। वहां क्षेत्र, धरती, लिंग और काल के झगड़े हैं! कौन किस भाषा का स्वामी है और अपनी भाषा का संस्कार सौंपने के लिए कितने लोग तैयार हैं? ऐसे सवालों में उलझी दुनिया मारकाट पर तुली है।

लेकिन धरती की भाषा और आंखों की भाषा में अंतर है। शायद इसीलिए आंखों की भाषा का अनुवाद करने में हमसे गलती हो जाती हैं। दूसरों की आंखों में झांक कर देखना शुरू किया तो लगा कि नदी के किनारे खड़ा होकर केवल लहरें ही गिन सकूंगा। लहरों के भीतर क्या है, उसे जानने के लिए डूबना पड़ेगा। दो-चार कदम आगे बढ़ना ही पड़ेगा।

कैसी है यह दृष्टि! अब तक दुनिया को इसी से देखता रहा और भ्रम में पड़ा रहा कि इससे आगे दुनिया नहीं। सच्चाई जब सामने आई तो लगा कि जानने के लिए अभी बहुत बाकी है, क्योंकि अब देह और देह में फर्क दिखने लगा। आंख नहीं बदली, लेकिन दृष्टि बदल गई है। लोग वही हैं, दृश्य वही है, मगर वहां उठते और बनते हुए चित्र बदलते जा रहे हैं। एक दौर में बचपन मे मां से कटोरे में दूध मांगा था। देर होने पर रूठ गया था। तब मां की मजबूरी समझ सकने की समझ नहीं थी। लेकिन मां बार-बार मुझे समझाने की कोशिश में थी। आज इतना लंबा अंतराल आकर बैठ गया और लगता है कि इसमें भाषा की परतें अपने-अपने अर्थ में बैठीं मुझसे कुछ कहना चाहती है। आप किसी भी परिवार में जाकर खड़े हो जाइए। वे सभी आपको देख रहे हैं और आप उन्हें। बालक कुछ और कह रहा है, युवक की भाषा में एक चमक और उत्साह है, वहीं वृद्ध की आंखों में पत्थर की भांति कुछ आ जमा है। मां कुछ और कह रही है और बहू की वाणी से अलग स्वाद का रस छलक रहा है।

एक देह कितनी भाषाओं का बोझ संभाले हुए है। तब देह केवल देह थी। खा-पीकर बिस्तर पर करवट फेरने या फिर उत्साह में सड़क या पार्क में दौड़ पड़ने वाली देह थी। आज वही देह जब कुछ देखती है तो थम जाती है। उसका मन ही नहीं भर पाता कि उसने दुनिया पूरी देखी या आधी। हालांकि इसकी परिभाषा बताने वाले पचासों लोग आसपास मौजूद हैं। सभी को इस बात का गुरूर है कि देह से झांकने वाली भाषा को उन्होंने भली-भांति समझ लिया है। बल्कि देह की भाषा पर सैकड़ों ग्रंथ लिख दिए गए। फिर भी लगता रहा कि अभी तो लिखना बहुत बाकी है। भवभूति, कालिदास, तुलसीदास जैसे लोग कवि-महाकवि के रूप में बार-बार चर्चित होते रहे और हमें लगा कि उन पर हमारा चिंतन अभी अधूरा है। यह अधूरापन ही साहित्य की खुराक है।

मैंने हंसते-मुस्कराते एक बालक को भागते हुए देखा। उसके साथ चलने वाली महिला ने मुस्कुरा कर मुझे नमस्कार किया। वे बोलीं कि यह बच्चा जल्दी किसी की बात नहीं सुनता। मैं मुस्कुराया। भीतर... मन में कहीं सवाल उठा कि हम क्यों किसी को देख कर प्रसन्न हो उठते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें देखने की इच्छा नहीं होती है। मन आलोचना का अस्त्र लिए खड़ा है। इस व्यक्ति में न उमंग है, न उत्साह है, प्रयोजन हीन बना खड़ा है। क्या बिना प्रयोजन के भी मनुष्य जी सकता है?

हालत यह है कि आज हंसने-मुस्कुराने के अवसर खोजे जा रहे हैं। जबकि कभी समय था कि ऐसे अवसरों की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हंसी-ठहाके अपने आप ही पैदा हो जाते थे। आज हंसी के शिविर में हंसने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण से पैदा हंसी क्या मौलिक उल्लास की प्रतीक बन सकती है?

आप याद कर सकते हैं कि कभी किसी की प्रसन्नता ने आपको छुआ हो। दूसरों की खुशी छूकर देखिए। हम चकित हो उठते हैं। कई बार हम हंसते-हंसते लोट-पोट हो गए। इसलिए कि खुशी बांटनी चाहिए। देह की भाषा अनंत सुख-दुख को प्रकट कर देती है। पता नहीं चलता कि हमारा सुख-दुख कब किस अवसर पर छलक जाए। देह की भाषा अत्यंत रहस्यमयी है। उसकी प्रतिक्रिया आप भले छिपा लें, लेकिन आपकी नजरें इसे नहीं छिपा पातीं। इसीलिए हम किसी मित्र के चेहरे को देख पूछ पड़ते हैं- 'आज तो बड़े प्रसन्न लग रहे हो... क्या बात है!' मित्र की मुस्कान में सारे उत्तर समाए होते हैं। आंखों की खुशी छिपती नहीं। कहीं न कहीं से झांकने लगती है।

## मंदिर का रास्ता

अयोध्या जमीन विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता का रास्ता अपनाया है, जो एक प्रकार से उचित फैसला है। अदालत का मानना है कि सभी पक्षों की आपसी सहमति से ही राम मंदिर विवाद का हल निकाला जा सकता है और इससे समाज के किसी भी वर्ग को कोई परेशानी होने की संभावनाएं बहुत कम है और यह सही निर्णय है। साथ ही अब लोकसभा चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर राजनीति कर वोट नहीं बटोर पाएगा। चूंकि विषय कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ आस्था और विश्वास का है, तो मध्यस्थ टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है कि इस बार मध्यथ टीम सर्वोच्च न्यायालय के दिये हुए कार्य को सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण ढंग से करने में समर्थ रहेंगे और कोई सकारात्मक समाधान सौपेंगे।

• *शुभम गुप्ता, धनबाद*

## सोच-समझ कर दें वोट

निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियां घोषित करते ही देश में लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो गया हैं। इस महापर्व में देश के आमजन को पूर्ण समझदारी व जिम्मेदारी से मतदान करना होगा। देश का भविष्य तय करने के लिए मतदाता सोच-विचार कर अपना मतदान करें, ऐसा प्रतिनिधि चुनें जो वाकई विकास के लिए कार्य करने वाला हो। भारत 1947 में आजाद हुआ था। 1952 से आम चुनाव हो रहे हैं। परंतु आज भी अधिकांश जनता बिजली, पानी की समस्याओं से जूझ रही है। मूलभूत सुविधाओं की कमी दूर किए जाने के साथ साथ अच्छी शिक्षा और तकनीक पर भी विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि समाज में महिलाएं सशक्त बनें। युवाओं को काम की कमी न हो। रोजगारों का सृजन हो एवं देश के प्रत्येक युवा को नौकरी मिले। किसानों को फसलों के उचित दाम मिले। अपराध व भ्रष्टाचार समाप्त हो।

चुनावों के दौरान राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए मतदाताओं को ख्वाब दिखाते हैं। गरीब, किसान, मजदूर से बड़े-बड़े वादे किए जाते है। चुनावों के बाद ऐसे वादों को भुला दिया जाता है। ऐसे में मतदाता अपने को ठगा महसूस करता है। राजनीतिक दल घोषणापत्रों में वहीं वादें करें जिन्हें वे समय पर पूरा कर सकते हो।

• *राजेंद्र कुमावत, जयपुर*

आवश्यकता पड़ जाने पर हम अपने आप को भारतीय कैसे साबित कर पाएंगे! कुछ दिन पहले लखनऊ में जिस तरह से दो कश्मीरी नौजवानों को पीटा गया, वह अपने आप में एक शर्मनाक और निंदनीय कृत्य था। बर्बरता की हद तो तब पार हो गई जब इन्हें फुटपाथ से उठा कर मारा ही नहीं गया, हल्कि इन्हें आतंकवादी और कश्मीरी कहा गया। चिंता का विषय तो यह कि क्या अब देश के किसी भी व्यक्ति को भारतीय होने का प्रमाणपत्र दिखाने के लिए गले में टांग कर चलना होगा?

• *राजकुमार पांडेय, रायपुर*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

## पर्यावरण की उपेक्षा

राजधानी दिल्ली अब उस स्थिति में पहुंच गई है जब लोगों के लिए स्वच्छ हवा में सांस लेना किसी सपने से कम नहीं है। वायु प्रदूषण की हालत यह है कि विश्व के बीस सबसे प्रदूषित शहरों में से पंद्रह शहर भारत के हैं। इससे अंदाजा लगायाजा सकता है कि हम कितनी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद चुनावों से पर्यावरण को बचाने का मुद्दा गायब है। हैरानी की बात तो यह है कोई इस पर ध्यान देना भी नहीं चाहता। जो हाल हमने अपने पर्यावरण का किया है उसको ठीक करने का दायित्व भी हमारा ही है। अगर यह हाल 2019 में है तो आने वाले दस-बीस साल में क्या हाल होगा? यह बात अंदर ही अंदर चिंतित करती है। क्यों आज हम पर्यावरण को दूषित करने पर तुले हुए हैं? इसकी जिम्मेदारी सबकी है। ग्लेशियर पिघलते जा रहें हैं, समुद्र का तापमान बढ़ाता जा रहा है, पृथ्वी गर्म होती जा रही है, स्वच्छ हवा-पानी बचा नहीं। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में मानव जीवन को इसका भारी नुक्सान उठाना पड़ेगा। हम सबको पर्यावरण के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम आने वाली पीढ़ी को बचा पाएंगे और उसे स्वच्छ जीवन दे पाएंगे।

• *आशीष, दिल्ली विवि*

## ऐसा नारी सम्मान!

विगत आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। नारियों के सम्मान में इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और महिलाओं के अधिकार और सम्मान का बखान किया गया। यकीनन आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं, लेकिन आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव ही किया जाता रहा है। पिछले दिनों बीसीसीआइ ने 2018-19 के लिए खिलाड़ियों का वार्षिक अनुबंध घोषित किया [illegible] खिलाड़ियों को ए प्लस ग्रेड में रखा गया जिन्हें सात करोड़ की राशि दी जाएगी। वहीं महिला क्रिकेट टीम को भी अनुबंध दिया गया है जिसमें पूरी महिला टीम को मिलने वाली राशि पुरुषों के ए ग्रेड के एक खिलाड़ी को मिलने वाली राशि से भी कम है। ये हैरत वाली बात है। क्या ऐसे भेदभावपूर्ण रवैये से महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सकता है? क्या यही नारियों का सम्मान है? महिला दिवस तभी सार्थक होगा जब महिलाओं को उचित अधिकार और सम्मान मिले, जिसकी वह हकदार हैं।

• *जफर अहमद, मधेपुरा*